न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला अजमेर

राजस्व वाद 23 / 2023 (2023 / 88)

प्रधानाचार्य राउमावि देवलियाखुर्द
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. टेनेन्सी एक्ट

आदेश

दिनांक:– 01.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवलियाखुर्द स्थानीय रा.उ.मा.वि. देवलियाखुर्द के विद्यालय हेतु खसरा नम्बर 1572 व खेल मैदान हेतु खसरा नम्बर 2250 / 1090 आवंटित है। उक्त भूमि विद्यालय के पूर्व नाम रा.उ.प्रा.वि. देवलियाखुर्द के नाम आवंटित है। वर्तमान में विद्यालय क्रमोन्नत होने के कारण विद्यालय का नाम रा.उ.मा.वि. देवलियाखुर्द हो चुका है। अतः उक्त आवंटित विद्यालय भूमि व खेल मैदान भूमि के खाते में पूर्व नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवलियाखुर्द के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवलियाखुर्द दुरूस्त करवाये जाने का निवेदन किया गया है जिस पर तहसीलदार केकड़ी द्वारा बाद जांच रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय देवलियाखुर्द को कार्यालय शिक्षा विभाग बीकानेर के पत्रांक क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2022–23 दिनांक 23.03.2022 से रा0 उ0 मा0 विद्यालय स्तर का कर दिये जाने से रिकॉर्ड में क्रमोन्नत दर्ज करवाने की अनुशंषा की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली व तहसीलदार केकड़ी, भू0अ0निरी0, पटवारी, पटवार मण्डल बघेरा की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के पत्रांकशिविरा–मा / माध्य / अ–4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2022–23 दिनांक 23.03.2022 का अवलोकन किया। अतः तहसीलदार केकड़ी द्वारा की गई अनशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवलियाखर्दु के विद्यालय एवं खेल मैदान की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार क्रमोन्नत दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला अजमेर

Scanned with OKEN Scanner